



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppan_lko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-151/पान/नि०इ०ल०/ई-ट्रेडिंग /2023-24

दिनांक:-15/4/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-129/2023-24

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना जगतपुर में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना जगतपुर में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.41 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु0अभि0(भवन)/08/लखनऊ दि0. 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशारी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशारी अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 129/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना जगतपुर में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.41 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppanlko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: 152/पान/नि०इ०ल०/ ई-टिजिंग / 2023-24

दिनांक: 15/4/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-128/2023-24

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना गदागंज में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना गदागंज में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.51 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु0अभि0(भवन)/08/लखनऊ दि0. 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशायी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



15/4/23
अधिशायी अभियन्ता



उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 128/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना गदागंज में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु0. 4.51 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु0. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppanlko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-153 / पान / नि०इ०ल० / 5-टैडरिंग / 2023-24

दिनांक:-15/4 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-127 / 2023-24

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना डीह में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना डीह में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.41 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572 / IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु0अभि0(भवन)/08/लखनऊ दि0. 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशाली अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशाली अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 127/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना डीह में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.41 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

ठेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppanlko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: 154/पान/नि०इ०ल०/ई-टैब्लिंग / 2023-24

दिनांक: 15/4 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-131/2023-24

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना नसीराबाद में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्तक्षारी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना नसीराबाद में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.46 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्तक्षारी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपोजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपोजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।


11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु०अभि०(भवन)/०८/लखनऊ दि० ०३.१०.२००८ द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर १० वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशासी अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर—लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 131/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना नसीराबाद में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.46 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppanlko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-155/पान/नि०इ०ल०/६-२०२३/2023-24

दिनांक:-15/4/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-130/2023-24

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना सलोन में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना सलोन में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.60 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु0अभि0(भवन)/08/लखनऊ दि0. 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिसासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



15/4/23
अधिसासी अभियन्ता



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर—लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 130/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना सलोन में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.60 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppanlko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-156/पान/नि०इ०ल०/ ई-रजिस्ट्रिंग /2023-24

दिनांक:-15/4/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-124/2023-24

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना लालगंज में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना लालगंज में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.41 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगार्ड-पुतार्ड, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु0अभि0(भवन)/08/लखनऊ दि0. 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिसासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिसासी अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 124/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना लालगंज में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.41 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppan_lko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-157/पान/नि0इ0ल0/ 5-टि0रिज / 2023-24

दिनांक:-15/4 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं0-123/2023-24

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना महाराजगंज में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना महाराजगंज में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.41 लाख	400/- (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय मकान नं0- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू0 400/- (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्चेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से क्राटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु0अभि0(भवन)/08/लखनऊ दि0. 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशासी अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 123/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना महाराजगंज में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.41 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

ठेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppan_lko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-158/पान/नि०इ०ल०/ई-टि०संरि०/2023-24

दिनांक:-15/4/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-122/2023-24

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना मील एरिया में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना मील एरिया में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	3.55 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु०अभि०(भवन)/०८/लखनऊ दि०. ०३.१०.२००८ द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर १० वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशाली अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशाली अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 122/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना भील एरिया में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 3.55 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppanlko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-162/पान/नि०इ०ल०/ई-टोरिंग / 2023-24

दिनांक:-15/4/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-121/2023-24

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना कोतवाली नगर में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना कोतवाली नगर में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.41 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।


11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्चेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु0अभि0(भवन)/08/लखनऊ दि0. 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशासी अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 121/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना कोतवाली नगर में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.41 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

ठेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppan_lko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-163/पान/नि०इ०ल०/ई-टैरिग/2023-24

दिनांक:-15/4/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-120/2023-24

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना भदोकर में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना भदोकर में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.41 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु०अभि०(भवन)/०८/लखनऊ दि०. ०३.१०.२००८ द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर १० वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशासी अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 120/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना भदोकर में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.41 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppan_lko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-164/पान/नि०इ०ल०/ई-टेन्डरिंग/2023-24

दिनांक:-15/4/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-119/2023-24

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना शिवगढ़ में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना शिवगढ़ में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.51 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु०अभि०(भवन)/०८/लखनऊ दि०. ०३.१०.२००८ द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर १० वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशायी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशायी अभियन्ता





उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, निर्माण इकाई, लखनऊ
5 / 451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 119 / 2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना शिवगढ़ में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु0. 4.51 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु0. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppanlko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-165/पान/नि०इ०ल०/ ६-टि०रि० / 2023-24

दिनांक:- 15/4 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-118/2023-24

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना ऊर्चाँहार में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना ऊर्चाँहार में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.41 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु0अभि0(भवन)/08/लखनऊ दि0. 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशाली अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशाली अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 118/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना ऊर्चाहार में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.41 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppanlko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-166/पान/नि०इ०ल०/ई-ट्वेंडिंग /2023-24

दिनांक:-15/4 /2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-117/2023-24

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना डलमऊ में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना डलमऊ में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.46 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/- IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।


11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेंट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु०अभि०(भवन)/०८/लखनऊ दि०. ०३.१०.२००८ द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर १० वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशाली अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशाली अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर—लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 117/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना डलमऊ में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.46 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ

5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppanlko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: 167/पान/नि०इ०ल०/ ई-ट्रैडिंग / 2023-24

दिनांक: 15/4/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-116/2023-24

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना हरचन्द्रपुर में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्तक्षारी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना हरचन्द्रपुर में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.41 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्तक्षारी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु0अभि0(भवन)/08/लखनऊ दि0. 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशासी अभियन्ता





**उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।**

निविदा सूचना संख्या: 116/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना हरचन्द्रपुर में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु0. 4.41 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

ठेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु0. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanko@gmail.com / seeuppanlko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-160/पान/नि०इ०ल०/ई-टी०रिगिंग / 2023-24

दिनांक:- 15/4 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-115/2023-24

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना गुरुबक्शागंज में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्तक्षारी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना गुरुबक्शागंज में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.46 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्तक्षारी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु0अभि0(भवन)/08/लखनऊ दि0. 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशायी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशायी अभियन्ता





**उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।**

निविदा सूचना संख्या: 115/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना गुरुबक्शगंज में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु0. 4.46 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

ठेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु0. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppan_lko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:-169/पान/नि०इ०ल०/ई-टी०रिग /2023-24

दिनांक:-15/4/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-114/2023-24

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना खीरो में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना खीरो में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.46 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।


11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु०अभि०(भवन)/०८/लखनऊ दि०. 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।




(संजीव सक्सेना)
अधिशाली अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशाली अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 114/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना खीरो में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.46 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ

5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppanlko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP19875GC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: 170/पान/नि०इ०ल०/ 5-टी-5रिज / 2023-24

दिनांक: 15/4/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-126/2023-24

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना बछरावा में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना बछरावा में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.41 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्चेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु0अभि0(भवन)/08/लखनऊ दि0. 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशायी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशायी अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 126/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना बछरावा में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.41 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।



उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ 5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

E-Mail: uppanlko@gmail.com / seeuppan_lko06@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP1987SGC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: 171/पान/नि०इ०ल०/ई-टि०रि० / 2023-24

दिनांक: 15/4/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-125/2023-24

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद रायबरेली के थाना सरैनी में महिला वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 08.05.2023 के समय 14:00 अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद रायबरेली के थाना सरैनी में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।	4.51 लाख	400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 520101010993572/ IFSC CODE- UBIN0905291 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा- विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय मकान नं०- 5/451, विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दिनांक: 08.05.2023 तक रू० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 08.05.2023 को समय 14.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 15 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-लखनऊ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
- निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
 - (1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
 - (2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
 - (4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
15. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
16. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० का निर्णय अन्तिम होगा।
18. अनुमोदित ब्रान्ड की सूची संलग्न।
19. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुये है।
20. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुयी क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु०अभि०(भवन)/०८/लखनऊ दि० ०३.१०.२००८ द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर १० वर्ष की गारंटी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।



(संजीव सक्सेना)
अधिशायी अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।



अधिशायी अभियन्ता





उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, लखनऊ
5/451, विराम खण्ड, गोमती नगर-लखनऊ।

निविदा सूचना संख्या: 125/2023-24

1. जनपद रायबरेली के थाना सरैनी में महिला वाशरूम ट्वायलेट का निर्माण कार्य।
2. निविदादाता का पूरा नाम.....
3. निविदादाता के पिता का नाम
4. निवास स्थान/वर्तमान पता/पत्राचार का पता
5. फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर जिससे सम्पर्क स्थापित हो सके उसका विवरण
6. उपरोक्त कार्य को मैं आगणन की कुल लागत **रु०. 4.51 लाख** से प्रतिशत (शब्दों में प्रतिशत) कम दरों पर करने को तैयार हूँ। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
7. धरोहर राशि (अंको में)
8. धरोहर राशि (शब्दों में)

दिनांक:-

टेकेदार का हस्ताक्षर/पूरा नाम

टेण्डर फार्म मेरे द्वारा खोला गया जिसमें अर्नेस्ट मनी रु०. (अंको में)
(शब्दों में) निविदा आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ।